



॥ सबका हो घर अपना, सच हुआ अब यह सपना ॥



प्रधानमंत्री आवास योजना (थहरी) के अन्तर्गत सम्पत्तियों का क्रेडिट लिंक सब्सिडी घटक में “प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त” के आधार पर कैम्प में आवंटन

दिनांक 17 एवं 18 जून 2017 को
लखनऊ, मेरठ एवं वसुंधरा गाज़ियाबाद में प्रातः 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे
पूर्वनियत स्थान पर आयोजित होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता :- लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भाग में उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वयं का पक्का घर नहीं होना चाहिए। • विवाहित दम्पति के मामले में, पत्नी अथवा दोनो संयुक्त स्वामित्व वाले एकल घर के लिए स्कीम के अंतर्गत परिवार की आय सीमा (पात्रता) उस श्रेणी (यथा-ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी I, एमआईजी II) के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• लाभार्थी परिवार ने भारत सरकार की किसी आवास स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता न ली हो।

पात्रता नियम	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी I	एमआईजी II
पारिवारिक आय (रुपए प्रति वर्ष)	3,00,000 तक	3,00,001-6,00,000	6,00,001-12,00,000	12,00,001-18,00,000
ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र आवास ऋण राशि (रुपए)	6,00,000	6,00,000	9,00,000	12,00,000
ब्याज सब्सिडी (%प्रतिवर्ष)	6.5%	6.5%	4%	3%
रिहायशी यूनिट कारपेट क्षेत्र	30 वर्ग मीटर	60 वर्ग मीटर	90 वर्ग मीटर	110 वर्ग मीटर

सम्पत्तियों का विवरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नोट: आयोजित कैम्प में ग्राहकों की सुविधा हेतु सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्धक, अधिशासी अभियन्ता एवं बैंक अधिकारी रहेंगे।

कैम्प में इच्छुक क्रेता सम्पत्ति पसंद आने की स्थिति में रु. 10,000 जमा कराकर सम्पत्ति होल्ड करा सकते हैं।

IS 15700:2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
Website : <http://www.upavp.com>; E-mail: info@upavp.com



IS 15700



SQM5

डायल करें 1800-180-5333 (टोल-फ्री), 0522-2236803 यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक उपलब्ध है।